


29



CFR 10/11

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

R-846-PBR/2002 प्र०क्र०

12002 पुनरीक्षण

शिवदयाल पुत्र मोहनलाल
को प्रस्तुत।
8/4/02

8 APR 2002

शिवदयाल पुत्र मोहनलाल

निवासी ग्राम सीहोर तहसील नरवर
जिला शिवपुरी ----- आवेदक
विल्द

- 1- मध्य प्रदेश शासन
- 2- हाकिमसिंह पुत्र किशनलाल जाटव
- 3- बल्लू पुत्र बल्लेवा जाटव
- 4- मायाराम पुत्र श्यामा जाटव

निवासीगण ग्राम सीहोर तहसील नरवर
जिला शिवपुरी ----- अनावेदकगण

① दुखधोरण
② दीपकुमार
③ नरवर
म.प्र. 152-06 के अंतर्गत
6-3-06

आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक
90199-2000 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक
7-1-2002 के विल्द पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50
म०प्र० मू राजस्व संहिता 1959

Signature
26-2002 महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत

करता है :-

Signature
9.4

- (1) यह कि आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के विवादित आदेश अवैध एवं विचाराधिकार रहित होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।
- (2) यह कि आवेदक की ओर से आयुक्त महोदय के समक्ष पुनरीक्षण

कि अनविभागीय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-846-पीबीआर/2002

जिला - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/03/2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी एवं अनावेदक क्र. 1 शासन की शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। अनावेदक क्र. 2 एवं 4 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह प्रकरण वर्ष 2002 से लंबित है। प्रकरण में 2014 से आवेदक अधिवक्ता को अनावेदक क्र.3 के वारिसानों की सूची पेश करने हेतु निर्देश दिए जा रहे हैं, परंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक वारिसाना आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के आदेश का पालन न करने के कारण यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	

3